नम्बर / वर्ष 856 / 2022 अनवानी विनोद बनाम गुलाबदास

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
9/12/25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी गई।	

प्रार्थी / प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया वाद में अंकित भूमि में से रोही मौज खुईया की भूमि के सम्बध में न्यायालय हाजा के द्वारा वाद संख्या 675 / 2022 अनवानी रामदास बनाम सुरस्ती में दिनांक 22.08.2022 को सहमति के आधार पर खाता विभाजन हो चुका है अर्थात वाद में वर्णित भूमि में से रोही मौजा खुईया की भूमि का खाता विभाजन पूर्व में हो चुका है तथ्यो को छिपाकर कर पूनः वाद पेश किया गया है वादी ने केवल वाद इसलिये पेश किया गया है कि पूर्व निर्णय की पालना नही हो सके तथ्यो को छुपाकर पुनः स्थगन आदेश भी पारित करवा लिया जबकि पूर्व में स्थगन आदेश का निर्णय हो चुका है पूर्व वाद में पारित निर्णय व हस्तगत वाद में भी अनुतोष एक समान है इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है एक बार निर्णय होने के बाद उसी भूमि का उन्ही पक्षकारो के मध्य वाद पेश नही किया जा सकता है

वादी / अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्व वाद 675 / 2022 अनवानी रामदास बनाम सुरस्ती में वादी को मुगालते में रख कर हस्ताक्षर करवाये गये थे निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरूद्व अपील विचाराधीन है उपरोक्त निर्णय अन्तिम निर्णय नही है पूर्व में पारित निर्णय की अपील विचाराधीन है पूर्व निर्णय अन्तिम नही है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया हस्तगत वादी रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 67 / 64 की 3.7190हैक भूमि का वादी के कब्जा काश्त के मुताबिक खाता विभाजन का अनुतोष है।

पूर्व में प्रकरण संख्या 675 / 2022 अनवानी रामदास बनाम सुरस्ती रोही मौजा खुईया के खाता संख्य 67 / 64 की 3.7190हैक भूमि का खाता विभाजन के अनुतोष के साथ विचाराधीन रहा था जो उभयपक्षो की सहमति के आधार पर दिनांक 25.08.2022 को निर्णित किया गया था उसी भूमि के सम्बध में पुनः उसी विषयवस्तु का वाद पेश किया गया है जो विधिसम्मत नही है प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा आरिज होता है।

वादी ने अपने जबाब में अंकित किया गया है कि पूर्व में पारित निर्णय के विरूद्व अपील विचाराधीन है अर्थात वादी को पूर्व में पारित निर्णय एवं उसके विरूद्व विचाराधीन अपील का ज्ञान होते हुए भी पूनः उसी विषयवस्तु का वाद पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है जब अपील विचाराधीन है तो उसी भूमि का वाद पेश करने का क्या औचित्य है

अतः वाद में वर्णित भूमि के सम्बध में इसी न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने एव निर्णय [illegible] अपीलीय न्यायालय में अपील विचाराधीन होने [illegible] आदेश 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार [illegible] एवं वाद एव प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उ[illegible] अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर स[illegible] कम की जाकर दाखि[illegible]तर हो निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:25 IST
Reason: SelfAttested